



2026:AHC:11942

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 103 सन् 2026

उदयभान चौहान

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: अमृता सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय

1. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, राज्य-प्रतिवादीयों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला को सुना गया।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित प्राथना सहित दायर की गई है:

“प्रतिवादी संख्या 1 के समूह को परमादेश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके अन्तर्गत ग्राम सोडासर, परगना घोसी, तहसील सदर, जिला मऊ में स्थित चक मार्ग के रूप में दर्ज अराजी संख्या 882, क्षेत्रफल 0.0590 हेक्टेयर पर प्रतिवादी संख्या 2 के समूह द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को निर्धारित अवधि में अथवा इस माननीय न्यायालय द्वारा नियत समय में हटाया जाए, जो सार्वजनिक उपयोगिता प्रयोजनों हेतु आरक्षित एवं उपयोग में है।”

3. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 28.1.2025 को तहसीलदार द्वारा उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली एवं हर्जाने का आदेश पारित किये जाने के बावजूद, उक्त आदेश का मौके पर पर उचित रीति से प्रभावी नहीं किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा पुनर्विचार आवेदन दायर किया गया है जो लंबित है, परन्तु कोई अन्तरिम आदेश प्रभावी नहीं है, अतः उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रतिवादी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 5 के विरुद्ध विचाराधीन भूखण्ड से अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु प्राधिकरण को निर्देश दिया जाए।

4. मैंने याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है एवं अभिलेखों का परिशीलन किया है।

5. इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध बेदखली एवं हर्जाने का आदेश पारित किया गया था।

6. उ.प्र. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 के अन्तर्गत उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत पारित आदेश की तामीली हेतु उपबन्ध विहित किया गया है, अतः यह जनहित याचिका उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत पारित आदेश की तामीली हेतु ग्राह्य नहीं की जा सकती।

7. इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दिनांक 28.1.2025 के निष्कासन एवं हर्जाने के आदेश के विरुद्ध दायर दिनांक 15.2.2025 का पुनर्विचार आवेदन लंबित है।

8. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह याचिका इस निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मऊ, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दिनांक 28.1.2025 के आदेश के विरुद्ध दायर दिनांक 15.2.2025 के पुनर्स्थापना आवेदन को पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक निर्णीत करें।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

19 जनवरी, 2026

रमीज़